

दिनांक 16.10.2014 को परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— द्वितीय वृत्त, मेरठ / मेरठ जोन, मेरठ

दिनांक—01-10-2015

क्रमांक	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाईल नं०	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय—	कार्य से सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	श्रीमती आरती पुत्री श्री योगेन्द्र सिंह, पता— मुजफ्फरनगर सैनी, परगना तहसील, मेरठ जिला मेरठ,	खसरा संख्या—37, 38 ग्राम काजीपुर मेरठ के प्रतिकर के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) आवास मेरठ के पत्रांक 902 / आठ—अ०जि०अ०० / भू०अ० / आवास मेरठ दिनांक 21.10.14 के द्वारा आवेदिका को सूचित किया गया है कि वर्तमान में योजना सं०-११ जागृति विहार विस्तार, मेरठ में होने वाले अभिनिर्णय मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन योचिकाओं के निर्णय के अधीन अथवा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त होंगे तब तक आवेदिका के पत्र पर उनके कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।	निस्तारित
2	श्री मुशी राम द्वारा श्री प्रमोद त्यागी, पता— 105/2 पंचशील कालोनी गली नं०-७ गढ रोड मेरठ, मो०नं०—9997904300	विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड/ भवन आवंटित करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3766 दिनांक 07.11.14 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि “उक्त आवासीय भूखण्ड सं०-बी-१२ए का निस्तारण आवंटन के माध्यम से ही किया जाना है। वर्तमान में यो० सं०-७, शास्त्रीनगर मेरठ में भविष्य में आवंटन/ नीलामी प्रस्तावित होने पर परिषद नियमानुसार आवंटन/ नीलामी में भाग ले सकते हैं। अतः परिषद दिवस में दिया गया प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।”	निस्तारित
3	हाजी मौ० असलम, पता— 610/13 शास्त्रीनगर मेरठ, मो० नं०—9358363699	भवन संख्या—610/13 शास्त्रीनगर मेरठ के सामने सड़क पर पानी भरने एवं कूड़ा जमा होने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-८ मेरठ के पत्रांक 2164 / जी-१९ / ४० दिनांक 30.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि “भवन सं०-६१०/१३ के सामने परिषद भूखण्ड की बाउन्ड्रीवॉल कराये जाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका	निस्तारित

					है, जिसमें प्रश्नगत नाली आदि का कार्य भी सम्मिलित है। तदानुसार पत्र का निस्तारण किया जाता है।"	
4	श्री राजेन्द्र कुमार, आशुलिपिक सप्तम वृत उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद, मो0 नं0-09911378973	दिनांक 29.12.2005 को हुए लाटरी ड्वा में स0 प्र0 गाजियाबाद द्वारा नाम न डालने के सम्बन्ध में।	03 दिनांक 18.09.14	15 दिन	स0प्र0 गाजियाबाद के पत्रांक 12219 दिनांक 12.11.14 द्वारा सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है कि मुख्यालय के निर्णय से पूर्व में ही पत्रांक 6352 दिनांक 28.5.13 द्वारा अवगत कराया जा चुका है तथा वर्तमान में गाजियाबाद में परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना में ब्रह्मपुत्र एन्कलेव में एक नग फ्लैट आवंटित किया जा चुका है। अतः तदानुसार प्राप्त प्रकरण निस्तारित किया जाता है।	निस्तारित
5	श्री वीरेन्द्र स्याल एवं श्री मुकेश चन्द्र सती, पता— ले0 कर्नल 91 / 3, मॉल रोड देहरादून, मो0 नं0-9719051801, 9456561975	नेहरू नगर योजना देहरादून में अनाधिकृत निर्माण ध्वस्त कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या 945 / स0प्र0-3 दिनांक 04.08.2014 द्वारा निर्देशित कार्यवाही हेतु वृत्त के पत्रांक 2422 / जी-75 / 70 दिनांक 28.10.14 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन निस्तारित किया गया।	निस्तारित
6	श्री वीरेन्द्र स्याल, पता— ए—99 नेहरू कालोनी धर्मपुर देहरादून उत्तराखण्ड, मो0 नं0-09897165744	ए—99 नेहरू कालोनी धर्मपुर देहरादून के आगे की 6 मी0 चौड़ी सड़क आवंटित करने तथा अवैध निर्माण के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या 945 / स0प्र0-3 दिनांक 04.08.2014 द्वारा निर्देशित कार्यवाही हेतु वृत्त के पत्रांक 2423 / जी-75 / 71 दिनांक 28.10.14 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन निस्तारित किया गया।	निस्तारित
7	श्री प्रीतम लाल, पता— डी—104 नेहरू कालोनी देहरादून, मो0 नं0-9719051801	डी—103 नेहरू कालोनी देहरादून पर किये गये अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त न किये जाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या 945 / स0प्र0-3 दिनांक 04.08.2014 द्वारा निर्देशित कार्यवाही हेतु वृत्त के पत्रांक 2425 / जी-75 / 73 दिनांक 28.10.14 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन निस्तारित किया गया।	निस्तारित
8	श्री मयंक धसमाना, पता— ले0 कर्नल, 91 / 3 मॉल रोड देहरादून, मो0 नं0-9719051801	नेहरू नगर योजना देहरादून में अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अपर आवास आयुक्त एवं सचिव (म0) के पत्र संख्या 945 / स0प्र0-3 दिनांक 04.08.2014 द्वारा निर्देशित कार्यवाही हेतु वृत्त के पत्रांक 2424 / जी-75 / 72 दिनांक 28.10.14 द्वारा सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए, परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन निस्तारित किया गया।	निस्तारित

9	श्री सौमित्र शर्मा, पता—159/5 जागृति विहार मेरठ, मो0 नं0—7520084233	छज्जा निकालकर रास्ता बन्द कर सड़क पर निर्माण के सम्बन्ध में।			अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—5 मेरठ के पत्रांक 1473 / जी—15 / 82 दिनांक 21.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि यो0सं0—6 जागृति विहार मेरठ की समस्त बाहीय सेवायें यथा— सड़कें, सीवर, पार्क, नाली आदि काफी समय पूर्व ही नगर निगम मेरठ को हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसमें सड़कों पर किये गये अतिक्रमण को हटाने का दायित्व नगर निगम मेरठ का है। अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही नगर निगम मेरठ द्वारा ही की जानी है।	निस्तारित
10	श्री कैलाश चन्द्र गुप्ता, पता— 615/6 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0—9412628105	भवन संख्या—589/6 शास्त्रीनगर मेरठ की तीसरी मंजिल पर बड़ी बड़ी खिड़की लगाने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8, मेरठ के पत्रांक 2163 / जी—19 / 39 दिनांक 30.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि “भवन सं0—589/6 शास्त्रीनगर मेरठ के भू—स्वामी द्वारा आपके भवन की ओर लगायी जा रही खिड़कियों को परिषद नियमानुसार कार्यवाही करते हुए बन्द करा दिया गया है।”	निस्तारित
11	श्री सन्तोष कुमार, पता—76/4 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0—9410030721	विरोधाभासी ले—आउट एवं पूर्ण सूचना देने के सम्बन्ध में।		15 दिन	वास्तुविद नियोजक, वास्तुकला एवं नियोजन अनुभाग, लखनऊ के पत्रांक 2224 दिनांक 21.10.14 व अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8, मेरठ के पत्रांक 2216/जी—19/44 दिनांक 11.11.14 द्वारा वांछित सूचना आवेदक को उपलब्ध करा दी गयी है।	निस्तारित
12	श्री मनीष कुमार शर्मा, पता—डी—333 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0 नं0—9837064378	भूखण्ड संख्या—17, 18 सूर्योदय विहार मेरठ पर निर्माण करने के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8, मेरठ के पत्रांक 2165 / जी—19 / 41 दिनांक 30.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि “प्रश्नगत खसरों की समायोजित की गयी भूमि के सम्बन्ध में तहसील स्तर से भूमि चिन्हांकित कराते हुए इसका परिषद नियमानुसार आसुधार शुल्क परिषद खाते में जमा कराने के उपरान्त ही सक्षम स्तर से मानचित्र स्वीकृत कराने के उपरान्त ही उस पर निर्माण की अनुमति दी जा सकती है।”	निस्तारित

13	श्री शाहिद अली, पता— शकूल नगर, लिसाड़ी रोड मेरठ, मो0 नं0—9368736810	माधवपुरम योजना संख्या—10 में स्थित खसरा संख्या—2687 में कब्रिस्तान की भूमि के सम्बन्ध में।		15 दिन	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—8 मेरठ के पत्रांक 2249 / जी—19 / 49 दिनांक 15.11.14 के द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि 'उप आवास आयुक्त, भूमि, लखनऊ के पत्रांक 975 दिनांक 17.10.14 के अनुसार खसरा सं0—2687 में कब्रिस्तान की भूमि का समायोजन योजना क्षेत्र में कर दिया गया है, अतः पत्र में दिये गये निर्देशानुसार समस्त भू—स्वामियों की ओर से शपथ—पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। तदानुसार पत्र निस्तारित किया जाता है।'	निस्तारित
14	श्रीमती अनुराधा गुप्ता, पता— बी—1/89 जनकपुरी द्वितीय तल नई दिल्ली, मो0 नं0—9810071419	ई—17/6 नेहरू कालोनी देहरादून की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय देहरादून के पत्रांक 802 दिनांक 12.11.14 द्वारा आवेदिका को वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए प्रकरण निस्तारित कर दिया गया है।	निस्तारित
15	श्री मुकेश वर्मा, पता— 516/13 शास्त्रीनगर मेरठ, मो0नं0—9319666001	भवन संख्या—516/13 शास्त्रीनगर मेरठ के साथ लगी अतिरिक्त भूमि के सम्बन्ध में।		15 दिन	सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय मेरठ के पत्रांक 3656 दिनांक 20.10.14 द्वारा आवेदक को सूचित किया गया है कि 'निर्माण खण्ड—8 मेरठ के पत्रांक 1883 दिनांक 16.9.14 द्वारा भवन के साथ 12.24 वर्गमी0 अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता से सूचित किया गया था, जिसके अनुपालन में पत्रांक 3363 दिनांक 20.9.14 के द्वारा वर्तमान भूमि दर पर अतिरिक्त भूमि का मूल्य रु0 260468.00 दिनांक 31.10.14 तक जमा कराने हेतु मांग पत्र जारी किया जा चुका है। परिषद के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अतिरिक्त भूमि का आवंटन पुरानी आवंटन दर पर किया जाना सम्भव नहीं है। इस प्रकार शिकायती पत्र का निस्तारण किया जाता है।'	निस्तारित